मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण क्रमांक/45/2026

Witness No........**02**.......for.......आवेदकगण की ओर से ....Deposition taken on the... 14.08.2026 ...day of .....शुक्रवार ....Witness's apparent age ...40 yrs ...

States on affirmation...शपथपूर्वक...My name is..... विक्रम सिंह दहिया ...... Son of .... श्री करतार सिंह ....Occupation .... प्रबंधक कार्मिक .... Address–पदस्थापना– SECL विश्रामपुर, जिला–सूरजपुर (छ.ग.) ....

(1) मैं कार्यालय–SECL विश्रामपुर, जिला–सूरजपुर छ०ग० में मार्च 2026 से वर्तमान तक प्रबंधक कार्मिक के पद पर पदस्थ हूं।

(2) मैं मृतक शिवमंगल को जानता हूं, वे SECL कुम्दा में मैकेनिकल फिटर हेल्पर के पद पर पदस्थ थे।

(3) आज मैं अपने साथ मृतक शिवमंगल के सेवा पुस्तिका की मूल प्रति एवं उसकी सत्यापित प्रति तथा वेतन पत्रक की सत्यापित प्रति लेकर आया हूं, जिसे प्रकरण में पेश कर रहा हूं।

(4) सेवा पुस्तिका के अनुसार मृतक की जन्मतिथि 25.09.1967 है। मृतक की नियुक्ति तिथि 06.12.1995 है। मृतक की मृत्यु मोटर दुर्घटना में दिनांक 14.12.2025 को हो गई है।

(5) मृतक के सेवा पुस्तिका की मूल प्रति **प्र.ए.–11** है, जिसकी सत्यापित छायाप्रति **प्र.ए.–11 सी** है। मृतक के वेतन पत्रक माह सितम्बर 2025 से नवम्बर 2025 की सत्यापित प्रति क्रमशः **प्र.ए.–12 से प्र.ए.–14** हैं, जिनके क्रमशः अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं।

(6) मृतक के वेतन पत्रक के अनुसार मृतक को सकल वेतन सितम्बर 2025 में 1,74,753.88/–रूपये, माह अक्टूबर 2025 में 1,55,728.34/– रूपये एवं माह नवम्बर में 1,31,708.82/–रूपये भुगतान किया गया था। मृतक के मासिक वेतन में अंतर उसकी उपस्थिति दिवस के अनुसार है।

नोट– मूल सेवा पुस्तिका में प्रदर्श अंकित करने के उपरांत साक्षी को वापस कर पावती ली जावे एवं सत्यापित प्रति प्रकरण में संलग्न रखी जावे।

/प्रति परीक्षण द्वारा श्री आशीष गुप्ता अधि० वास्ते अना.क्र.–1 एवं 2/

(7) कुछ नहीं।

/प्रति परीक्षण द्वारा श्री राजेश गुप्ता, अधि० वास्ते अना.क्र.–3/

(8) यह कहना गलत है कि मृतक SECL में नौकरी नहीं करता था। यह कहना गलत है कि मृतक नियमित कर्मचारी नहीं था। यह कहना गलत है कि मैं मृतक के नौकरी के संबंध में नियुक्ति पत्रक एवं अनुबंध पत्र अपने साथ लेकर नहीं आया हूं। स्वतः कहा कि सेवा पुस्तिका लेकर आया हूं, उसमें नियुक्त संबंधी दस्तावेज संलग्न हैं।

(9) यह कहना गलत है कि सेवा पुस्तिका कूटरचित है। यह कहना गलत है कि प्र.ए.–11 से प्र.ए–14 के दस्तावेज भी कूटरचित हैं। यह कहना गलत है कि प्र.ए.–12 से प्र.ए.–14 के वेतन पत्रक पर मुझे हस्ताक्षर करने एवं सील लगाने की अधिकारिता नहीं है। यह कहना सही है कि मैं मृतक के संबंध में उपस्थिति पंजी एवं वेतन पंजी लेकर आज उपस्थित नहीं हुआ हूं।

(10) मृतक के कुल वेतन में किस मद में कितनी कटौती होती है, मैं बता सकता हूं। स्वतः कहा कि माह सितम्बर 2025 के वेतन पत्रक के अनुसार मृतक के वेतन में से PF में 16,401 रूपये, पेंशन में 8,178/–रूपये, इनकम टैक्स में 18,372/–रूपये, LIC में 4,290/–रूपये, मिसलेनियस में 2/–रूपये एवं बेनावुलेंट फंड में 50/–रूपये की कटौती की गई है।

(11) यह कहना गलत है कि कर्मचारी की मृत्यु पश्चात् कटौती की संपूर्ण रकम उसके नॉमिनी को प्राप्त होती है। स्वतः कहा कि पेंशन, ग्रेच्युटी एवं PF की राशि मृतक के नॉमिनी को प्राप्त होती है। LIC में कटौती हुई राशि के संबंध में LIC कार्यालय निर्णय लेता है। यह कहना सही है कि मृतक को उसके बैंक एकाउंट के माध्यम से वेतन का भुगतान किया जाता था। यह कहना सही है कि मैं मृतक को भुगतान किए गए वेतन के संबंध में विभाग का बैंक स्टेटमेंट आज लेकर नहीं आया हूं।

(12) यह कहना सही है कि प्रत्येक शासकीय कर्मचारी को प्रपत्र–16 A,B जारी किया जाता है। यह कहना सही है कि प्रपत्र 16A में कटौती का संपूर्ण विवरण होता है एवं प्रपत्र 16B में ग्रॉस सैलरी एवं टैक्स आंकलन का विवरण होता है। प्र.ए.–12 में इनकम टैक्स की रकम 18,372/–रूपये, प्र.ए.–13 में 20,866/–रूपये एवं प्र.ए.–14 में 16,408/–रूपये की कटौती होना उल्लेखित है।

(13) प्र.ए.–12 के अनुसार मृतक के एक वर्ष (माह मार्च 2025 से माह सितम्बर 2025 तक) में 1,50,696/–रूपये इनकम टैक्स की कटौती हुई थी। यह कहना सही है कि हमारे विभाग में नो वर्क, नो पेमेंट का नियम है। यह कहना सही है कि मृतक किस

Contd..... 03

वित्तीय वर्ष में कितने दिन–माह अनुपस्थित रहा था, इस संबंध में पंजी अपने साथ लेकर नहीं आया हूं। यह कहना गलत है कि मैं आज झूठी गवाही दे रहा हूं।

गवाह को पढ़कर सुनाया,
सही होना स्वीकार किया। **मेरे निर्देशन पर टंकित।**

Sd/–	Sd/–
(शक्ति सिंह राजपूत)	**(शक्ति सिंह राजपूत)**
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण	**मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण**
अम्बिकापुर, जिला–सरगुजा (छ.ग.)	**अम्बिकापुर, जिला–सरगुजा (छ.ग.)**

हस्ताक्षर गवाह ....